

हरियाणा दलति उप-कोटा पारति करने वाला पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा **अनुसूचति जाति (SC) आरक्षण** के भीतर उप-कोटा को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जो सकारात्मक कार्यवाही नीतियों में एक महत्वपूर्ण विकास है।

प्रमुख बिंदु

- **दलति उपकोटा अनुमोदन:** हरियाणा सरकार ने 20% अनुसूचति जाति आरक्षण को दो भागों में वभाजति करने को मंजूरी दी: 50% "वंचति" अनुसूचति जाति के लिये और 50% अन्य अनुसूचति जाति के लिये।
 - हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में हरियाणा अनुसूचति जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम पारति कया था, जसिके तहत राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये आरक्षति 20% सीटों में से 50% सीटें एक नई श्रेणी, वंचति अनुसूचति जातियों के लिये आरक्षति की गई थी।
 - इस कदम का लक्ष्य समूह के भीतर आर्थिक असमानताओं को पहचानते हुए अनुसूचति जाति के बीच लाभों का समान वतिरण सुनिश्चति करना है।
 - "वंचति" जातियों की पहचान करने के लिये न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में एक आयोग गठति कया गया था।
- हरियाणा में अनुसूचति जातियों की जनसंख्या काफी अधिक है (20% से अधिक), आंतरिक असमानता लंबे समय से एक मुद्दा रहा है।
- **कानूनी और संवैधानिक आधार:** राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर निर्भर करती है, जो अनुसूचति जातियों के वर्गीकरण की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 341(1) और 342(1)** के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श के बाद, जातियों, मूलवंशों, जनजातियों अथवा जातियों या मूलवंशों के भीतर समूहों के हिससों को नरिदषित कर सकते हैं, जनिहें अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति माना जाएगा।
- आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी अनुसूचति जाति के लिये उप-कोटा लागू करने के ऐसे ही प्रयास कयि गए हैं, लेकिन हरियाणा का कदम औपचारिक रूप से मंजूरी पाने वाला पहला कदम है।

SC और ST के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

- **उप-वर्गीकरण की अनुमति:** न्यायालय ने नरिणय दया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से पछिड़ेपन के वभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है।
 - सात न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचति समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचति जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
 - **भारत के मुख्य न्यायाधीश** ने "उप-वर्गीकरण" और "उप-श्रेणीकरण" के बीच अंतर पर ज़ोर दया, तथा इन वर्गीकरणों का उपयोग वास्तविक उत्थान के बजाय राजनीतिक तुष्टिकरण के लिये करने के प्रति आगाह कया।
 - न्यायालय ने कहा कि उप-वर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आँकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिये।
 - नषिपक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चति करने के लिये राज्यों को अपने उप-वर्गीकरण को अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित करना चाहिये।
 - न्यायालय ने स्पष्ट कया कि किसी भी उप-वर्ग के लिये 100% आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। उप-वर्गीकरण पर राज्य के नरिणय राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दया है कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** पर लागू होता था (जैसा कि **इंद्रा साहनी वाद** में परलिकषति हुआ था), अब SC और ST पर भी लागू होना चाहिये।
 - इसका मतलब है कि राज्यों को SC और ST के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिये और उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करना चाहिये। यह नरिणय आरक्षण के लिये अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करता है, यह सुनिश्चति करता है कि लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो जो वास्तव में वंचति हैं।
 - न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमति होना चाहिये।
 - यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ लया है और उच्च दर्जा प्राप्त कया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा।

- **नरिणय का औचतिय:** न्यायालय ने माना कऱऱणालीगत भेदभाव अनुसूचति जातयिँ और अनुसूचति जनजातयिँ के कुऑ सदस्युँ को आगे बढने से रोकता है, और इसलयि, [संवधान के अनुचछेद 14](#) के तहत उप-वरुीकरण इन असमानताऑ को दूर करने में मदद कर सकता है
- यह दृषुऑकिण राज्युँ को इन समूहुँ के सबसे वंचति लुगुँ को अधकि ढरुभावी ढंग से सहायता ढरुदान करने के लयि आरक्षण नीतयिँ को तैयार करने की अनुमतऱ देता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-becomes-first-state-to-clear-dalit-sub-quotas>

